कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 190 राँची : 03/3/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत मौजा– बगड़ू में बॉक्साइड खनन हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 448 दिनांक 05.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव की समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त विभागीय प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक Ref: HIL/JH/Bag/1104 दिनांक 10.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदन सीधे इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। जिसपर क्षेत्रीय कार्यालयों का मंतव्य अपेक्षित है।

अतएव अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

28/02/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय :– वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गुमला।
ज्ञापांक 464 दिनांक 07/03/2025
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
07/03/2025
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला

D:\Amit\PRIVATE\Hindalco bagru mine 9.69 ha CWLW.docx

ADITYA BIRLA

HINDALCO

Ref: HIL/JH/Bag/ 1104

Date: 10.02.2025

To
The PCCF – ED,
Waste Land Development Board,
Jharkhand, Ranchi.

SUB: Proposal for Bagru Forest clearance for 9.69 ha area, Dist – Lohardaga, Jharkhand

Ref: Letter no – Vanbhumi – 30/2024 – 448 dated 05.02.2025

SIR,
With reference to the letter no: Vanbhumi – 30/2024 – 448 dated 05.02.2025 received from OSD, Forest Department, GoJ, please find below the point wise reply for the same:

1. Bagru Bauxite mine is located in Village-Bagru, Tehsil-Kisko, District-Lohardaga, Jharkhand. Total Forest area is 19.56 ha. Out of that 9.87 ha area was broken before 1980 before enactment of Forest Conservation Act, 1980. Therefore, as per the Forest Conservation Act, 1980, there is no need for obtaining Forest clearance for the Broken area of 9.87 Ha. Our Aerial Ropeway Structure, Crusher, Explosive magazine, Ropeway Trestle and Road to Crusher are located in the said broken area which was built before 1980. Bagru mine Ropeway system has been constructed in 1948 and Explosive Magazine has been constructed in 1966. Therefore, we require this broken area (9.87 ha) for smooth working of mine, but Forest clearance is not required for the said broken area of 9.87 ha area as per Forest Conservation Act, 1980. Please find attached the NOC for broken area of 9.87 ha by DFO, Lohardaga. **(Annexure – I).**

2. Earlier the Forest Diversion proposal for Bagru mine was applied offline in 2005 for 19.56 ha area. Out of that 9.87 ha area was broken before 1980 for which Forest Clearance is not required as per Forest Conservation Act, 1980. Therefore, post receiving instruction by DFO, Lohardaga, again we have applied revised online application in Parivesh Portal for 9.69 ha area only excluding 9.87 ha broken area before 1980. Therefore, the earlier application has been treated as cancelled.

Thanking You,
Sincerely Yours,

(Basudev Gangopadhyay)
Hindalco Industries Ltd

Cc to:
1. Secretary, Forest, GoJ
2. CF, Gumla
3. DFO, Lohardaga

Encl: As above

Hindalco Industries Limited
Vasundhara Mega Mart, 2nd Floor, Near Argora Chowk, P.S-Argora, Ranchi-834002 (Jharkhand)
Ph. No. - 0651-2247900/01/Fax No. 0651-2247902

Corporate Office : 6th & 7th Floor, Birla Centurion, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400030, India | T: +91 22 6662666/6261055 | F:+ +91 22 62610400/62610500
Registered Office : 21st Floor, One Unity Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400013, India | T:+ 91 22 69477000/69477150 | F: +91 22 69477001/69477090
W : www.hindalco.com | E : hulinveslors@adityabirla.com | Corporate ID No.: L27020MH1958PLC011238

Annexure - I

(442)

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

E-mail:- dfolohardaga@rediffmail.com Ph. & Fax - 06526 - 224283, (O) Jharnet IP No. 36948

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ।।

पत्रांक 2581 लो0, दिनांक 08/12/09

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
राँची।

विषय :- लोहरदगा जिलान्तगर्त मौजा बगडू, भूसाड एवं हिसरी के 19.56 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समर्पित अपयोजन प्रस्ताव में दर्शायें गये 9.87 हे0 खंडित वन भूमि के संबंध में।

प्रसंग :- वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र सं0 3/वन भूमि–75/2006/1758 व0 प0 दिनांक 18.06.09 एवं आपका पत्रांक 1057 दिनांक 10.07.09

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रसांगिक पत्र में की गई पृच्छा की स्थिति निम्नवत है :-

क्र0सं0	पृच्छा	उत्तर
1	यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान प्रस्ताव नई प्रस्ताव है या पूर्व में दिये गये अपयोजन का नवींकरण है ?	(I) अपयोजन प्रस्ताव में दर्शाया गया 19.56 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव जिसमें 2.17 हे0 सेपटी जोन वाला वन भूमि भी शामिल है। उक्त प्रस्ताव नवींकरण प्ररताव है, जो वर्ष 1974 में स्वीकृत मेसर्स इण्डियन अलमुनियम कम्पनी के नवींकृत खनन पट्टा का अंश भाग है। (II) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि में दर्शाया गया खण्डित क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृति प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये खनन पट्टा 1980 के पूर्व का है।
2	जो क्षेत्र खण्डित दिखाया जा रहा है, यह नियमो तथा अनुमति के तहत खण्डित किया गया है या नियमों के विपरित ?	अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव में दर्शाया गया खण्डित भाग जिसमें रोपवे, टसल, मैगजिन आदि अवस्थित है। हिण्डालको द्वारा समर्पित अभिलेखों से यह प्रतित होता है कि इण्डियन अलमुनियम (अब हिण्डालको) ने रोपवे निर्माण हेतु वन प्रमण्डल कार्यालय, छोटानागपूर राज एवं बिहार सरकार से क्रमशः वर्ष 1951, 1948 एवं 1950 में अनुमति प्राप्त की है। उसी प्रकार मैगजिन (विस्फोटक) लाईसेंस 1966 में प्राप्त किया है। अतः यह प्रतीत होता है कि विस्फोटक मैगजिन 1980 के पूर्व बनाया गया होगा। साथ ही खण्डित वन भू–भाग पर क्रेसर, टसल जैसे संलग्न उपकरण अवस्थित है।

अतः सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी

08/12/09
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची पश्चिमी वन प्रमंडल,
लोहरदगा।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वनभूमि–30 / 2024– 418 व०प०, राँची, दिनांक– 05/02/2025

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा– बगडु, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन् हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपके कार्यालय का पत्रांक–60 दिनांक–16.01.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए निराकरण प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर मंतव्य / प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :–

(1) पूर्व खण्डित 9.87 हे0 वनभूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता अभिकरण को है अथवा नहीं। यदि हाँ, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसके अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता है अथवा नहीं।

(2) पूर्व समर्पित 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के Withdrawal की कार्रवाई की गई अथवा नहीं।

विश्वासभाजन

5/2/2025

(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–30 / 2024– 418 व०प०, राँची, दिनांक– 05/02/2025

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / महाप्रबंधक, हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, माईंस डिवीजन, कोर्ट रोड, लोहरदगा, झारखण्ड–835302 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी।

%/C

(440)

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वनभूमि–30 / 2024– 448 व०प०, राँची, दिनांक– 05/02/2025

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा– बगड़ू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन् हेतु 9.69 हे0 (7.52 हे0 + 2.17 हे0 सेफ्टीजोन एरिया) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपके कार्यालय का पत्रांक–60 दिनांक–16.01.2024

340
10/2/2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए निराकरण प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :–

(1) पूर्व खण्डित 9.87 हे0 वनभूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता अभिकरण को है अथवा नहीं। यदि हाँ, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसके अपयोजन की स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता है अथवा नहीं।

(2) पूर्व समर्पित 19.56 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के Withdrawal की कार्रवाई की गई अथवा नहीं।

विश्वासभाजन

5/2/2025

(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।